

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 21/11/18

संख्या-14/स्थानीय नीति-14-04/2018 का-916 /कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-5938 दिनांक-14.07.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के जिलों यथा-साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों के ही पात्र होने का प्रावधान किया गया है।

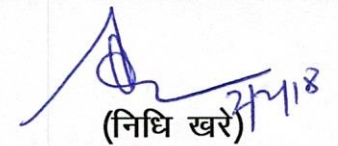
राज्य के गैर अधिसूचित जिलों यथा- पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा के जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जिलों हेतु प्रवृत्त उक्त प्रावधान को लागू करने की मांग विधान सभा के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है।

उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से राज्य के गैर अधिसूचित जिलों में जिलास्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा भारत का संविधान के संबंधित उपबंधों एवं अन्य राज्यों में एतदर्थ लागू प्रावधानों के संदर्भ में करने हेतु निम्नवत् उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

1.	श्री अमर बाउरी	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री राधा कृष्ण किशोर	सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	सदस्य
3.	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	सदस्य
4.	श्री राज सिन्हा	सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	सदस्य
5.	श्री अमित मंडल	सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	सदस्य
6.	श्रीमती निधि खरे	प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

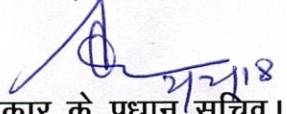
उक्त समिति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना सुविचारित मंतव्य उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

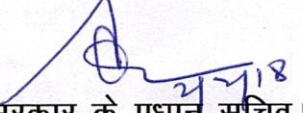
ज्ञापांक-14/स्थानीय नीति-14-04/2018 का-.....9.16...../राँची, दिनांक21/2/18.....

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/स्थानीय नीति-14-04/2018 का-.....9.16...../राँची, दिनांक21/2/18.....

प्रतिलिपि- श्री अमर बाउरी, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/श्री राधा कृष्ण किशोर, सदस्य झारखण्ड विधान सभा/श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य झारखण्ड विधान सभा/श्री राज कुमार सिन्हा, सदस्य झारखण्ड विधान सभा/श्री अमित मंडल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।